

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारा



संख्या : 07 / 2017

हुकमचंद पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी श्यामपुरा तहसील मांगरोल जिला बारा
....प्रार्थी

♣ बनाम ♣

राजस्थान सरकार जयें लैण्ड होल्डर तहसीलदार मांगरोल
....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंघव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांक: 21.08.2017

निर्णय दिनांक : 12.09.2018

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की भूमि ग्राम श्यामपुरा में खाता संख्या 86 की खसरा नं० 84 रकबा 6.05 है०, खसरा नं० 105 रकबा 0.09 है०, खसरा नं० 114 रकबा 1.55 है०, खसरा नं० 119 रकबा 1.70 है०, खसरा नं० 130 रकबा 1.31 है०, खसरा नं० 132 रकबा 0.78 है०, खसरा नं० 133 रकबा 0.86 है०, खसरा नं० 138 रकबा 0.29 है०, खसरा नं० 142 रकबा 0.81 है०, खसरा नं० 315 रकबा 2.77 है०, खसरा नं० 332 रकबा 2.82 है०, खसरा नं० 347 रकबा 0.10 है०, खसरा नं० 356 रकबा 2.14 है०, खसरा नं० 358 रकबा 1.54 है०, खसरा नं० 371 रकबा 0.65 है०, खसरा नं० 420 रकबा 1.09 है० कुल किता 16 रकबा 24.55 है० दर्ज है। जो कि सम्वत 2073-76 की जमाबंदी में दर्ज है। सेटलमेंट पूर्व उक्त आराजी का रकबा निम्न था। खसरा नं० 255 रकबा 38 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं० 174 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं० 191 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं० 203 रकबा 8 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं० 223 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं० 218 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं० 221 रकबा 5 बीघा, खसरा नं०. 235 रकबा 19 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं० 80 रकबा 19 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं० 240 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नं० 306 रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं० 303 रकबा 9 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं० 253 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं० 301 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 14 रकबा 159 बीघा 8 बिस्वा सम्वत 2035-38 की जमाबंदी में दर्ज रेकार्ड है। इस प्रकार प्रार्थी के वर्तमान रकबे व गत रकबे का मिलान करने पर गत रकबे की अपेक्षा प्रार्थी के वर्तमान रकबे में 0.96 है० आराजी सेटलमेंट विभाग द्वारा कम दर्ज की गयी। पूर्व जमाबंदी सम्वत 2035-38 में आराजी का रकबा 159 बीघा 8 बिस्वा दर्ज था जबकि वर्तमान जमाबंदी व सेटलमेंट के बाद की जमाबंदी में प्रार्थी की आराजी रकबा 24.55 है० दर्ज है। जो कि गत रकबे की अपेक्षा आराजी से सेटलमेंट कार्मिको ने सेटलमेंट के दौरान

आराजी के रकबे में 0.96 है० रकबा कम दर्ज किया गया है। अतः निवेदन है कि ग्राम श्यामपुरा आराजी खाता संख्या नया 88 पुराना 76 किता 16 रकबा 24.55 है० में कमी रकबे 0.96 है० की पूर्ति जावें। आराजी का रकबा 25.51 है० दर्ज किया जावें।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 21.08.2017 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार मांगरोल को तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल जो की लैण्ड होल्डर है व राज्य सरकार का पैरोकार है ने अपनी जांच रिपोर्ट पत्र क्रमांक/भू०अ०/2018/4408 दिनांक 04.09.2018 से प्रस्तुत की। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम श्यामपुरा तहसील मांगरोल की आराजी हाल खसरा नं० 315 का रकबा 2.77 के स्थान पर 3.14 है० दर्ज किया जावें तथा चारागाह खसरा नं० 230 का रकबा 0.86 के स्थान पर 0.49 है० दर्ज किया जावें। तथा नक्शे में तरमीम करने की आवश्यकता नहीं है।

हमारे द्वारा पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या नया 88 पुराना 76 किता 16 रकबा 24.55 है० में दौराने सेटलमेंट हुयी कमी रकबा 0.96 है० की पूर्ति किये जाने हेतु निवेदन किया है, संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है ने रिपोर्ट में अंकन किया की वादी की आराजी ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या नया 88 पुराना 76 किता 16 रकबा 24.55 है० में खसरा नं० 315 का रकबा 2.77 के स्थान पर 3.14 है० दर्ज किया जावें तथा चारागाह खसरा नं० 230 का रकबा 0.86 के स्थान पर 0.49 है० दर्ज किया जा सकता है अतः ग्राम श्यामपुरा की आराजी खाता संख्या नया 88 पुराना 76 किता 16 रकबा 24.55 है० में खसरा नं० 315 का रकबा 2.77 के स्थान पर 3.14 है० दर्ज किया जावें तथा चारागाह खसरा नं० 230 का रकबा 0.86 के स्थान पर 0.49 है० दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में स्